विषयः खुदरे व्यापारी के माध्यम से माल की बिक्री के लिए नीति के दिशानिर्देश

1.0 आमुख

1.1 राष्ट्रीय इस्पात नीति में परिकल्पित अनुसार वर्ष 2019-20 तक नगरीय क्षेत्रों में इस्पात की खपत वर्तमान 77 कि ग्रा/प्र मनुष्य-वर्ष के स्तर से 165 कि ग्रा/प्र मनुष्य-वर्ष तक बढ़नी है| ऐसे भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक माँग दिखती है| इस माँग की पूर्ति करने और इस खंड में हमारे उत्पादों को चैनलबद्ध करने के क्रम में उपर्युक्त क्षेत्रों में खुदरे व्यापारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया|

1.2 इस खंड में अधिकतम दक्षता को भुनाने के क्रम में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित अधिकतम सिफारिश खुदरे कीमत (एम आर आर पी) पर अपने उत्पादों को सभी नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने एक मजबूत और खुदरे व्यापारियों का अलग नेटवर्क रखने पर ध्यान क्रंद्रित किया है|

2.0 खुदरे व्यापारी का स्थान

2.1 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड मेट्रो, शहर, मुख्य नगर और जिला मुख्यालयों के साथ पूरे नगरीय समूह को शामिल करते हुए खुदरे व्यापारियों का पंजीकरण करेगा| साथ ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यह भी चाहता है कि खुदरे व्यापारियों को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अनुमोदन से उनके श्रेय स्थान पर खुदरे खंड में खुले बहु आऊट लेट्स (तीन से ज्यादा नहीं) की अनुमति देते हुए बाजारी शेयर को बढ़ाया जाय|

2.2 'खुदरे व्यापारी आऊट लेट' एक ऐसी जगह है, जहाँ खुदरे व्यापारी बिक्री कार्य जैसे आदेश बुकिंग, भुगतान की प्राप्ति आदि करते हैं| अन्य शब्दों में, 'खुदरे व्यापारी आऊट लेट' खुदरे व्यापारियों का 'बिक्री कार्यालय' है|

2.3 नगरपालिका, नगर निगम आदि जैसे संबंधित नगर निकाय की सीमाओं द्वारा 'स्थान' परिभाषित किया जाता है| हालांकि, बड़े नगर समूहों में 'स्थान' उसी इलाके के अंदर हो सकता है| इस नीति के अंतर्गत खुदरे व्यापारी के 'स्थान' शब्द को आऊटलेट के रूप में समझा जा सकता है|

2.4 खुदरे व्यापारी को प्रचालन के स्थान में उपयुक्त क्षेत्र का एक माल गोदाम उपलब्ध कराने की आवश्यकता है| हरेक खुदरे व्यापारी को नगरीय क्षेत्र में बिक्री कार्यालय खोलने का दायित्व है|

2.5 बहु आऊटलेट्स की अनुमति प्राप्त होने पर खुदरे व्यापारी को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की सलाह के अनुसार प्रचालन की सुविधा के लिए अतिरिक्त माल गोदाम की सुविधाएँ उपलब्ध कराना होगा|

3.0 समाविष्ट उत्पाद

3.1 विनिर्माण उद्योगों, हाऊसिंग, सार्वजनिक उपयोगिता आदि जैसे लक्ष्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों को उपलब्ध करने हेतु सभी खुदरे व्यापारी को अलग से गोदाम और विशेष आऊटलेट खोलने होंगे| खुदरे आऊटलेट और गोदाम सैद्धांतिक रूप से एक ही स्थान पर हो| हालांकि, यदि ऐसा संभव न हो तो, गोदाम को नगर सीमाओं के अंदर/बाहर उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जा सकता हैं|

3.2 लक्ष्य ख़ंड की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर सभी प्रकार की आकृतिवाले रीबार्स, संरचनाएँ, राऊंड्स और स्क्वेयर्स की बिक्री खुदरे व्यापारी द्वारा की जाती है| यही नहीं, विपणन विभाग के विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से उत्पादों को जोड़ा जा सकता है|

4.0 खुदरे व्यापारियों की चयन पद्धति

4.1 सामान्य तौर पर प्रत्येक स्थान में छः खुदरे व्यापारियों तक की अनुमति दी जाती है। फिर भी, निर्दिष्ट स्थान पर उत्पादों का साइज और विपण्यता की स्थिति को दृष्टि में रखकर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुमोदन के लिए अधिक संख्या में खुदरे व्यापारियों के पंजीकरण के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

4.2 खुदरे व्यापार नीति लागू करने से, व्यापारियों के द्वारा माल की बिक्री की मौजूदा पद्दति समाप्त हो जाएगी। खुदरे व्यापार नीति के निबंधन व शर्तों की स्वीकृति और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए एक अलग आऊटलेट चलाने की इच्छा रखनेवाले 75% तक के मौजूदा व्यापारी पंजीकृत होंगे। इच्छुक व्यापारी स्थान हेतु अपनी अधिमान्यता के क्रम दे सकते हैं। यदि किसी एक स्थान में अधिक संख्या में व्यापारी खुदरे व्यापारी बनने का विकल्प दें तो, वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान उनके द्वारा उठाई गई (उच्चतम उठाई से न्यूनतम उठाई) अधिमान्यता के क्रम को दृष्टि में रखकर खुदरे व्यापारी का चयन किया जाएगा। इन खुदरे व्यापारियों के साथ करार करने हेतु अनुलग्नक-5 के अनुसार प्रपत्र का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि, अनुलग्नक-1, अनुलग्नक-2, अनुलग्नक-3 और अनुलग्नक-4 उनसे संबंधित नहीं है।

4.3 उपर्युक्त खंड 4.2 के अनुसार पहले से ही निश्चित खुदरे व्यापारी के प्रवर्तन की आवश्यकता के आधार पर खुदरे व्यापारियों की अतिरिक्त संख्या का पंजीकरण क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुमोदन से खुले विज्ञापन द्वारा किया जाना चाहिए। विज्ञापन के लिए पूरा प्रपत्र, आवेदक के लिए अनुदेश, आवेदन का प्रपत्र क्रमशः अनुलग्नक-1, अनुलग्नक-2 व अनुलग्नक-3 में दिए गए हैं। मूल्यांकन शीट, करार प्रपत्र और मूल्यांकन के मानदंड क्रमशः अनुलग्नक-4, 5 व 7 में दिए गए हैं।

4.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मौजूदा परेषण अभिकरण, परेषण स्टॉक अभिकरण, खुदरे व्यापारी, जिला स्तरीय डीलर या प्रहस्तन संविदाकार खुले विज्ञापन के माध्यम से खुदरे व्यापार के लिए आवेदन देने के पात्र नहीं हैं।

4.5 खुदरे व्यापार के लिए आवेदन का मूल्यांकन सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित अनुसार बिक्री कारोबार, बैंकर द्वारा प्रमाणित अनुसार वित्तीय क्षमताएँ, इस्पात क्षेत्र में अनुभव आदि तथा आवेदन के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा विचार करने के लिए जरूरी माने गए अन्य कोई मानदंड जैसे श्रेय देने योग्य एक 10 बिंदुयुक्त माप के अनुसार किया जाएगा। सभी श्रेणियों के लिए निम्नतम योग्यता प्राप्तांक 2 (दो) है। अ जा/अ ज जा व अ पि जा (राज्य पि जा को शामिल करते हुए) से संबंधित आवेदकों को अधिमान्यता दी जाएगी।

4.6 पंजीकरण हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर माप के क्रम में (उच्चतम से निम्नतम) उस शाखा में विचार किया जाएगा। यदि दो या उससे अधिक आवेदकों के प्राप्तांक एकरूप हों तो, 1. अ जा/अ ज जा 2. अ पि जा और 3. सामान्य वर्ग के क्रम में अधिमान्यता दी जाएगी। यदि एक ही श्रेणी के दो या उससे अधिक आवेदकों के प्राप्तांक एकसमान हों तो, उच्च बिक्री कारोबार के आधार पर अधिमान्यता दी जाएगी।

4.7 सामान्यतः स्थानीय प्रदेश में उपभोक्ताओं और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों की व्यवस्था करने हेतु खुदरे व्यापारी को एक अलग आऊटलेट तथा गोदाम का प्रचालन करने की जरूरत है। हालांकि, खुदरे व्यापारी को व्यापारियों के साथ किसी भी ग्राहक को उत्पादों बेचने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा अनुमति प्राप्त खुदरे आऊटलेट से बिल बनाए जाएगा। हालांकि, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को ऐसे अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रत्यक्ष रूप से या अन्य किसी भी रूप से अपने किसी भी प्रकार के उत्पादों को बेचने का अधिकार है।

5.0 **पंजीकरण की अवधि**

5.1 प्रारंभ में खुदरे व्यापारी का पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए किया जाएगा तथा पारस्परिक करार के आधार पर एक वर्ष के लिए (2011-12) नवीकरण किया जा सकता है, बशर्ते कि अनुबंध के खंड 7.1 के अनुसार उनका निष्पादन संतोषजनक हो। वर्ष 2011-12 में निष्पादन संतोषजनक हो तो, पारस्परिक करार के आधार पर पंजीकरण तीन वर्षों (2012-15) की अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा।

5.2 सभी खुदरे व्यापारियों को पंजीकरण/ नवीकरण से पहले निम्नलिखितानुसार प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना पड़ेगा:

खुदरे व्यापारी की श्रेणी	सामान्य	अ जा/अ ज जा व अ पि जा
क	5 लाख रुपए	2.5 लाख रुपए
ख	4 लाख रुपए	2 लाख रुपए
ग	3 लाख रुपए	1.5 लाख रुपए
घ	2 लाख रुपए	1 लाख रुपए
ङ	1 लाख रुपए	0.5 लाख रुपए

5.3 खुदरे व्यापारी को वैधता की अवधि सूचित करते हुए पंजीकरण का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जो खुदरे व्यापारी के बिक्री कार्यालय में एक प्रमुख जगह पर प्रदर्शित किया जाएगा।

5.4 ऊपर सूचितानुसार, प्रतिभूति जमा भरने के पश्चात खुदरे व्यापारी को माल की आपूर्ती की जाएगी।

6.0 **बिक्री कीमत**

6.1 खुदरे व्यापारी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से वितरण तारीख को लागू अनुसार पूर्व-स्टॉक यार्ड/पूर्व-संयंत्र कीमत पर माल खरीद सकते हैं। विनिर्दिष्ट स्थितियों को छोड़कर भुगतान पहले करना होगा और शाखा कार्यालय में स्थानीय रूप से डी डी/डा आ/आर टी जी एस/एन ई एफ टी/चैक* के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

* इस संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार चैक सुविधा उपलब्ध की जाएगी।

6.2 खुदरे व्यापारी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा घोषित अधिकतम सिफारिश खुदरे कीमत (एम आर आर पी) से अधिक कीमत पर माल की बिक्री नहीं कर सकता है। हालांकि, एस टी/वेट, चुँगी और ब्याज या साख के अन्य प्रभार, ग्राहकों तक माल भाड़ा (50 कि मी से अधिक दूर के लिए) आदि, जो भी स्थानीय उगाही लागू होंगे, वे अतिरिक्त होंगे। यदि ऐसा कोई अतिरिक्त प्रभार हों तो, बिल में विनिर्दिष्ट रूप से ब्रेक-अप के साथ सूचित किया जाना होगा। प्रति एम टन के लिए 1200/- रुपए (खुदरे व्यापारी का मार्जिन) और 1.50 रुपए प्रति कि मी प्रति टन जोड़ने से (बशर्ते कि सूत्र एफ 1=एफ 0(0.7+0.3एच1/एच0) के अनुसार स्वतः वृद्धि/अर्ध वृद्धि हो), जहाँ एफ1 भाड़े पर संशोधित दर, एफ0 मूल दर यानि 1.50 रुपए, दि.01.7.2010 के अनुसार मूल स्थान पर एच1 एच एस डी का खुदरे बिक्री कीमत एम आर आर पी होगी और शाखा स्टॉक यार्ड से {बशर्ते कि कम से कम 200/- रुपए प्रति मेट्रिक टन} भाड़े व्यय के रूप में संबद्ध उत्पादों के लिए नियंत्रण शाखा से वितरण आदेश की दशा की कीमत पर होगा। प्रति एम टन के लिए एम आर आर पी नियंत्रण शाखा द्वारा घोषित किया जाएगा और 6.2(क) के अनुसार लंबाई के आधार पर भी दर (सिर्फ टी एम टी रीबार्स के लिए) होगा। एक स्थान के सभी खुदरे व्यापारियों के लिए एम आर आर पी एक ही तरह होगा।

6.2(क) लंबाई के आधार पर कीमत की गणना के लिए भार तालिका निम्नलिखितानुसार हैं:

...व्यास (एम एम)	अनुभागीय भार (कि ग्रा/मी)	12 मी लंबाई के लिए भार (कि ग्रा)
8.0	0.395	4.74
10.0	0.617	7.40
12.0	0.888	10.66
16.0	1.580	18.96
18.0	2.000	24.00
20.0	2.470	29.64
22.0	2.980	35.76
25.0	3.851	46.21
28.0	4.830	57.96
32.0	6.310	75.72

6.3 शाखा द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार खुदरे व्यापारी को खुदरे आऊटलेट तथा गोदाम में एम आर आर पी का प्रदर्शन करना है|

6.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से खुदरे व्यापारी को बिक्री भार के आधार पर की जाएगी| हालांकि, 6.2 (क) में दिए गए अनुसार, टी एम टी रीबार्स की बिक्री लंबाई के आधार पर भी की जाएगी | फिर भी उनके ग्राहकों को बिल भार के आधार पर किया जाएगी|

6.5 खुदरे व्यापारी खुदरे व्यापार यार्ड से 50 कि मी दूर तक के ग्राहकों के परिसर या स्थान तक माल का वितरण लागत रहित करेगा| इस सेवा को दृष्टि में रखकर खुदरे व्यापारी को उपांत के रूप में (200/- रुपए तक) राशि की अनुमति दी गयी है|

6.6 खुदरे व्यापारी मुख्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित मात्रा आधारित प्रोत्साहनों की प्राप्ति के भी पात्र होंगे|

7.0 **मात्रा**

7.1 विज्ञापन द्वारा पंजीकृत सभी खुदरे व्यापारियों के लिए स्वीकृत मासिक मात्रा 150 टन होगी| पंजीकरण बढ़ानेवाले (तदुपरांत वर्षों में) मौजूदा खुदरे व्यापारियों और खुदरे व्यापारी की तरह पंजीकरण करनेवाले पहले से स्थित व्यापारियों अनुलग्नक 10 में सूचितानुसार पिछले वर्ष की उनकी उठाई गई मात्रा के आधार पर स्वीकृत मात्रा तय की जाएगी| खुदरे व्यापारी को वार्षिक आधार पर प्रतिबद्ध मात्रा में कम से कम 75% की पूर्ति करनी होगी| खुदरे व्यापारी के निष्पादन की निम्नलिखितानुसार समीक्षा की जाएगी:

7.1.1 वर्ष 2010-11 में संतोषजनक निष्पादन के लिए, खुदरे व्यापारी को दि.30 सितंबर, 2010 तक वार्षिक मात्रा का निम्नतम 30% और दि.31 मार्च, 2011 तक वार्षिक मात्रा का निम्नतम 75% पूरा करना होगा| हालांकि दि.1 अगस्त, 2010 तक या उसके पश्चात पंजीकृत खुदरे व्यापारी को दि.31 मार्च, 2011 तक वार्षिक मात्रा के निम्नतम 75% तक की पूर्ति करनी होगी|

7.1.2 वर्ष 2010-11 में निष्पादन संतोषजनक होने पर, पारस्परिक करार के आधार पर एक वर्ष (2011-12) के लिए पंजीकरण बढ़ाया जाएगा| वर्ष 2011-12 में संतोषजनक निष्पादन के लिए खुदरे व्यापारी को दि.30 सितंबर, 2011 तक वार्षिक मात्रा का निम्नतम 30% और दि.31 मार्च, 2012 तक वार्षिक मात्रा का निम्नतम 75% पूरा करना होगा|

7.1.3 वर्ष 2011-12 में निष्पादन संतोषजनक होने पर, पारस्परिक करार के आधार पर पंजीकरण तीन वर्षों (2012-15) की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा| उस अवधि में वर्ष 2012-15 में से प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधि में मात्रा का निम्नतम 30% और प्रत्येक वर्ष में वार्षिक मात्रा का निम्नतम 75% पूरा करने पर निष्पादन संतोषजनक माना जाएगा|

7.1.4 उपर्युक्त अवधि में किसी भी समय मध्यस्थ समीक्षा के दौरान, उपर्युक्त अनुसार यदि असफल हों तो, प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा और पंजीकरण को जारी रखने हेतु नए रूप में फिर से प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना पड़ेगा| हालांकि, वार्षिक मात्रा में से उठाई गई वार्षिक मात्रा यदि 25% से कम हों तो, प्रतिभूति जमा जब्त के साथ- साथ खुदरे व्यापारी का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा|

7.2 खुदरे व्यापारी को अतिरिक्त मात्राएँ उनके अनुरोध तथा उपलब्धता के आधार पर दी जाएंगी| वर्ष 2010-11 में, दि.1 अक्तूबर, 10 से दि.31 मार्च, 11 तक माल के वितरण के लिए, दि.30 सितंबर, 10 तक खुदरे व्यापारी द्वारा उठाई गई मात्रा के निष्पादन के आधार पर विचार किया जाएगा| अर्थात बिक्री नीति के अनुसार समझौता ज्ञापन के ग्राहकों को माल का प्रस्ताव रखते समय (अग्रिम माँग चरण के पश्चात), दि.30 सितंबर,10 तक खुदरे व्यापारी द्वारा उठाई गई मात्रा के निष्पादन पर विचार किया जाएगा|

8.0 **संवर्धन के प्रयास**

8.1 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड खुदरे व्यापारी के उपयोगार्थ मानक विज्ञापन/संवर्धन सामग्री उपलब्ध करता है| इस आशय के लिए खुदरे व्यापारी को सिर्फ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध किए गए सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए|

9.0 **गुणवत्ता**

9.1 खुदरे व्यापारी को आपूर्ती किए गए माल के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा| खुदरे व्यापारी अपने ग्राहकों को परीक्षा प्रमाणपत्र की प्रतियों को उपलब्ध कर सकता है|

9.2 खुदरे व्यापारी को अपने परिसर में माल के संरक्षण के संबंध में किसी प्रकार की क्षति, मिश्रण या माल की पहचान के गायब हो जाने से बचने के क्रम में आवश्यक सावधानी बरतनी होगी| खुदरे व्यापारी को माल के आवक तथा जावक लेखा का अनुरक्षण करना होगा|

9.3 यदि गुणवत्ता की कोई शिकायत हों तो, ऐसी शिकायतों को मौजूदा गुणवत्ता शिकायत प्रक्रिया द्वारा निपटाया जाएगा|

9.4 खुदरे व्यापारी अपने परिसर में एक प्रमुख स्थान पर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और विभागाध्यक्ष-विपणन का नाम, पता व दूरभाष संख्या प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहक कठिनाई के समय या अन्य जानकारी के लिए उनसे संपर्क कर सकें| खुदरे व्यापारी को अपने परिसर में एक सुझाव और शिकायत पंजी रखनी चाहिए और सभी सुझावों/शिकायतों को वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को यथाशीघ्र अग्रेषित करना चाहिए|

10.0 **निरीक्षण तथा प्रतिवेदन**

10.1 खुदरे व्यापारी को स्टॉक और बिक्री प्रतिवेदन नियंत्रण शाखा को पाक्षिक आधार पर (प्रति 15वीं तारीख और महीने अंत तक) नीचे दिए गए प्रपत्र में ई-मेल (या अनुदेशानुसार) द्वारा प्रस्तुत करना होगा:

उत्पाद/आकृति/श्रेणी	बिक्री		पक्ष के अंत तक स्टॉक
	पक्ष में	वर्ष में संचयी	

ख) खुदरे व्यापारी को ग्राहक का नाम, संपर्क विवरण, उत्पाद और बिक्री की गयी मात्रा आदि लेन-देन के विवरण का अनुरक्षण करना चाहिए और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए| खुदरे व्यापारी को पक्षवार पुष्टि करते हुए एक स्व-घोषण को प्रस्तुत करना होगा कि दस्तावेजों/पंजियों में उपलब्ध किए गए विवरण सही तथा एम आर आर पी से अधिक दर पर माल की बिक्री नहीं की गई|

10.2 - - -

10.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को खुदरे व्यापारी के परिसर का निरीक्षण किसी भी समय करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता है| खुदरे व्यापारी ऐसे निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि को उनके अनुरोध के अनुसार प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएँ और सहयोग देना होगा|

10.4 - - -

10.5 प्रत्येक तिमाही के अंत में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक खुदरे व्यापार के निष्पादन की समीक्षा करेगा और समेकित प्रतिवेदन क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा| क्षेत्रीय प्रबंधक उस क्षेत्र के अधीन सभी शाखाओं के प्रतिवेदनों को समेकित करके उसे विभागाध्यक्ष-विपणन को प्रस्तुत करेगा|

11.0 शक्तियों का प्रत्यायोजन

- - -

12.0 अन्य जानकारी

12.1 खुदरे व्यापारी द्वारा आऊटलेट खोलने के लिए उनके द्वारा चयन किए गए क्षेत्र के अनुसार एक निर्दिष्ट स्थान में एक से अधिक खुदरे व्यापारी प्रचालन कर सकते हैं| एक स्थान में प्रचालन करनेवाले खुदरे व्यापारियों को आपस में समन्वय करना चाहिए, ताकि अवांछित प्रतियोगिता से बचा जा सकें| अवांछित व्यापार से संबंधित किसी भी शिकायत को गंभीरता से देखा जाएगा और उनके कारण पंजीकरण को भी रद्द भी किया जा सकता है|

12.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की लिखित अनुमति के बिना खुदरे व्यापारी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों के निविदाओं और अन्य आपूर्तियों में भाग नहीं लेना चाहिए| खुदरे व्यापारी को निर्दिष्ट निविदाओं में भाग लेने या समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त निर्दिष्ट आदेशों का पालन करने की सलाह देने का अधिकार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को है|

12.3 खुदरे व्यापारी को शाखा के साथ संप्रेषण करने हेतु एक वैध ई-मेल आई डी देने की जरूरत है| इस संबंध में इंटरनेट के साथ-साथ एक कंप्यूटर के अनुरक्षण पर महत्व दिया जाना होगा| ऊपर सूचितानुसार खुदरे व्यापारी को ई-मेल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा|

12.4 ग्राहक से बार-बार प्राप्त प्रतिकूल फीड्बैक तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अहित के रूप में कोई मामला पाए जाने पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपने एक पक्ष निर्णय से 15 दिनों की सूचना देकर खुदरे व्यापारी का पंजीकरण रद्द कर सकता है|

साथ ही, पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान या पंजीकरण के पश्चात किसी भी समय, आवेदक/खुदरे व्यापारी द्वारा प्रस्तुत घोषणाएँ गलत या असत्य पाए जाने पर, पंजीकरण रद्द किया जाएगा|

12.5 उपर्युक्त खंड 12.4 के अनुसार जिस आवेदक/खुदरे व्यापारी का आवेदन तिरस्कृत/पंजीकरण रद्द किया जाता है, उनके आवेदन/पंजीकरण के रद्द होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक बिक्री आऊटलेट के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की किसी भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी|

* * *

अनुलग्नक 10

खुदरे व्यापारियों के लिए मात्राएँ तय करने की पद्धति

(वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लागू होगा)

1. खुदरे व्यापारी के आऊटलेट का वर्गीकरण निम्नलिखितानुसार 3 श्रेणियों में किया जाता हैं:

श्रेणी क	21600 टन प्रति वर्ष या अधिक
श्रेणी ख	14400 टन प्रति वर्ष या अधिक
श्रेणी ग	7200 टन प्रति वर्ष या अधिक
श्रेणी घ	3600 टन प्रति वर्ष या अधिक
श्रेणी ङ	1800 टन प्रति वर्ष या अधिक

2. विज्ञापन के आधार पर पंजीकृत खुदरे व्यापारी की स्वीकृत वार्षिक मात्राएँ 1800 टन होंगी और उन्हें श्रेणी ङ में रखा जाएगा| व्यापारियों से पंजीकृत खुदरे व्यापारियों के लिए स्वीकृत मात्राओं का निर्धारण उनके पिछले वर्ष की उठाई के आधार पर होगा|

3. खुदरे व्यापारी की मूल मात्राएं निम्नलिखितानुसार हैं:

पिछले वर्ष की उठाई (व्यापारी के रूप में)	चालू वर्ष के लिए मूल मात्रा
3600 टन तक	1800 टन
>3600 टन से 7200 टन	3600 टन
>7200 टन से 14400 टन	7200 टन
>14400 टन से 21600 टन	14400 टन
21600 टन से अधिक	21600 टन

घ तथा ङ श्रेणी के खुदरे व्यापारी को कोई अतिरिक्त लॉयल्टी नहीं मिलेगा| विज्ञापन के माध्यम से नए खुदरे व्यापारी का पंजीकरण सिर्फ 1800 टन प्रति वर्ष के लिए होगा|

4. व्यापारी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से जुड़े हुए हैं और इसकी उन्नति में सहभागी है| तदनुसार, व्यापारी द्वारा पंजीकृत खुदरे व्यापारी को लॉयल्टी जोड़ते हुए मात्राओं को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी| लॉयल्टी जोड़ने के लिए खुदरे व्यापारी को बिक्री योजना की 15% की मात्रा निर्धारित की जाएगी| सभी पंजीकृत खुदरे व्यापारी पिछले वर्ष की उनकी उठाई के अनुपात के समान इस मात्रा का एक अंश जोड़ सकते हैं|

उदाहरण के लिए, खुदरे व्यापार के अंतर्गत 100000 टन प्रति वर्ष बिक्री योजना रखनेवाले शाखा कार्यालय में 15000 टन (यानि 15%) की मात्रा लॉयल्टी जोड़ के रूप में होगी| खुदरे व्यापारी के रूप में पंजीकृत निम्नलिखित 4 व्यापारी ग्राहकों को लॉयल्टी जोड़ निम्नलिखितानुसार होगा:

	पिछले वर्ष की मात्रा	पिछले वर्ष का %	लॉयल्टी जोड़
ग्राहक क क	22000	44.90%	6735 (15000 टन पर 44.9%)
ग्राहक ख ख	14500	29.60%	4440 (15000 टन पर 29.6%)
ग्राहक ग ग	7500	15.30%	2295 (15000 टन पर 15.3%)
ग्राहक घ घ	5000	10.20%	1530 (15000 टन पर 10.2%)
कुल	49000		

5. बिक्री में नियमितता और स्थिरता किसी भी उद्योग की उन्नति में सहायक होगी| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पहचानता है| खुदरे व्यापारी के लिए स्थिरता रूप में बिक्री योजना की 5% मात्रा निर्धारित होगी, जो मात्राओं की वृद्धि में सहयोग देगी| तिमाही में स्थिर रहनेवाले खुदरे व्यापारियों को मूल मात्रा में 5% तक मात्राओं को बढ़ाने की अनुमति निम्नलिखितानुसार दी जाएगी:

   समझौता ज्ञापन की मात्रा में 6.5% की उठाई प्रति महीने करनेवाले खुदरे व्यापारी को स्थिर माना जाएगा| प्रथम दो तिमाही में किसी चार महीने के लिए जो खुदरे व्यापारी स्थिर हो, उन्हें दि.1 अक्तूबर, 2010 से तिमाही समझौता ज्ञापन की मात्रा की मूल मात्रा में 2% की समान मात्रा जोड़ने की अनुमति दी जाएगी| उसी प्रकार, प्रथम तीन तिमाही में किसी भी छः महीने में स्थिरता रखनेवाले दि.1 जनवरी, 2011 से तिमाही समझौता ज्ञापन की मात्रा की मूल मात्रा में 3% की समान मात्रा जोड़ने की अनुमति दी जाती है| टी क्यू आई और निष्पादन की पात्रता के निर्धारण के लिए समझौता ज्ञापन की मात्रा तिमाही मात्राओं का योग होंगी|

6. अतः, खुदरे व्यापारी की स्वीकृत मात्राएँ निम्नलिखितानुसार होंगी:

	मूल मात्रा	लॉयल्टी जोड़	स्वीकृत मात्रा	स्थिरता जोड़ के पश्चात	
				तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
ग्राहक क क	21600	6735 टन	28335 टन	7083+432	7083+432+648
ग्राहक ख ख	14400	4440 टन	18840 टन	4710+288	4710+288+432
ग्राहक ग ग	7200	2295 टन	9495 टन	2373+144	2373+144+216
ग्राहक घ घ	7200	1530 टन	8730 टन	2182+144	2182+144+216

7. अतिरिक्त मात्राएँ खुदरे व्यापारी के विकल्प पर दी जाएंगी| खुदरे व्यापारी अपनी मात्राओं को बढ़ाना चाहे तो, उनको तिमाही के प्रारंभ में 7 दिनों के अंदर स्थिरता जोड़ के लिए अपना अनुरोध लिखित रूप में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को प्रस्तुत करना होगा| पहले समझौता ज्ञापन के साथ लॉयल्टी जोड़ निर्धारित किया जाएगा|

* * *